उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-9
संख्याः 4/2020/753/नौ-9-2019-67ज/20
लखनऊ : दिनांकः 14 मई, 2020

कार्यालय - ज्ञाप

प्रदेश के 14 शहरों में कुल 700 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इन 14 शहरों में से 07 शहरों (लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, एवं मथुरा-वृन्दावन) में एस0पी0वी0 का गठन पूर्व से ही है, जबकि शेष 07 शहरों (गोरखपुर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ एवं झांसी) में एस0पी0वी0 के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए ऐसे 07 शहर जिनमें एस0पी0वी0 वर्तमान में गठित नहीं है, में चार्जिंग शेड के निर्माण एवं अन्य संबंधित कार्यवाही के समन्वय एवं निष्पादन हेतु उक्त शहरों के नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 'नगरीय परिवहन समिति' का गठन एतद्द्वारा निम्नवत् किया जाता हैः-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | नगर आयुक्त, नगर निगम | अध्यक्ष |
| 2. | जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट स्तर का अधिकारी | सदस्य |
| 3. | सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक | सदस्य |
| 4. | सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी | सदस्य |
| 5. | सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम | सदस्य |

2. उक्त समिति सम्बंधित शहरों में नियमित एस0पी0वी0 के गठन होने तक कार्य करेगी तथा निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन सुनिश्चित करेगीः-

(1) चार्जिंग शेड के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि के चिन्हांकन, निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने अथवा जिलाधिकारी से प्राप्त करने का प्रयास करना।

(2) चार्जिंग शेड के निर्माण एवं अन्य समस्त संबंधित कार्यवाहियों के लिए अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।

(3) प्रकरण में वांछित अन्य कोई कार्यवाही।

उक्त समिति पाक्षिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायेगी।

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्तांक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

**<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मण्डलायुक्त, मेरठ, गोरखपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ एवं झांसी, उ0प्र0।
3. निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ एवं झांसी।
5. जिलाधिकारी, गोरखपुर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ एवं झांसी।
6. सहायक क्षेत्रीय प्रंबधक/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/सेवा प्रबंधक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ एवं झांसी।
7. कम्प्यूटर सेल/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार शर्मा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्तांक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्य कता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यारपित की जा सकती है ।